कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग
(सहकारिता प्रभाग)

सहकार संवाद

फरवरी 2022 अंक-03, वर्ष-02 (मासिक)

सिद्धो-कान्हो कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ।

निबंधक की कलम से

राज्य में किसानों की संख्या लगभग 38 लाख है, जो 38 लाख हेक्टेयर भूमि पर खेती करते हैं। राज्य में कृषि उत्पाद यथा– धान, गेहूँ, सब्जी एवं वनोत्पाद जैसे– लाह, ईमली, चिरौंजी, महुआफूल, डोरी, करंज, साल बीज इत्यादि का उत्पादन एवं संग्रहण व्यापक पैमाने पर होता है, लेकिन किसानों एवं संग्रहणकर्ताओं को मेहनत के अनुरूप आय प्राप्त नहीं हो पाती है। कृषि उपज एवं वनोत्पाद का उचित मूल्य दिलाने, बिचौलियों को समाप्त करने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि राज्य एवं जिला स्तर पर ''सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ'' का गठन किया जाय ताकि कृषि एवं वनोपज का उत्पादन, संग्रहण, प्रसंस्करण, अनुसंधान तथा विकास की विभिन्न गतिविधियों को सहकारी संघ के माध्यम से संगठित कर क्रय–विक्रय एवं वितरण की ऐसी व्यवस्था बनायी जाय जिससे उत्पादक एवं संग्रहणकर्त्ताओं को सर्वोत्तम लाभ मिल सके। संघ के गठन का यह भी उद्देश्य है कि स्थानीय स्तर के उत्पाद का प्रसंस्करण कर मूल्य संवर्धन किया जाय ताकि अन्तिम रूप से तैयार उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिले एवं उन्हें लम्बे समय तक संरक्षित रखा जा सके तथा उन्हें राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यवसाय हेतु बाजार के साथ जोड़ा जा सके।

गठित होने वाले संघ का स्वरूप जनतांत्रिक बनाया गया है तथा इसकी संरचना त्रिस्तरीय रखी गई है, जिसमें पंचायत स्तर पर कार्यरत लैम्पस/पैक्स एवं जिला स्तर पर जिला सहकारी संघ है। पंचायत स्तर के लैम्पस/पैक्स, संयुक्त वन प्रबंधन समिति, वन धन केन्द्र, गैर–सरकारी संगठन, विपणन, उत्पादन, प्रक्रिया एवं उपभोक्ता सहकारी समितियों के साथ वित्तीय संस्थाओं, वाणिज्यिक बैंक, स्वशासी एवं अर्द्धस्वशासी संस्थाओं को भी जिला सहकारी संघ का सदस्य बनाने का प्रावधान रखा गया है। इसी तरह शीर्ष स्तर पर राज्य सहकारी संघ है, जिसमें सदस्य के रूप में झारखण्ड के सभी 24 जिलों में गठित जिला सहकारी संघ एवं अन्य शीर्ष सहकारी संस्थाएँ यथा– झास्कोलैम्पफ, झाम्फकोफेड, वेजफेड, झास्कोफिश, झारखण्ड मिल्क फेडरेशन इत्यादि होंगे। साथ ही अर्न्तविभागीय समन्वय के लिए कृषि, वन एवं पर्यावरण, आपूर्ति, कल्याण, पंचायती राज्य तथा उद्योग विभाग आदि के पदाधिकारियों को भी संघ के बोर्ड में पदेन सदस्य के रूप में प्रावधान किया गया है ताकि संघ सुचारू रूप से कार्य करते हुए विभिन्न विभागों की योजनाओं का लाभ उत्पादक किसानों एवं संग्रहणकर्ताओं को दिलायी जा सके।

राज्य स्तर पर सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ लि0 तथा जिला स्तर पर राज्य के सभी जिलों में जिला स्तरीय सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज जिला सहकारी संघ लि0 का निबंधन किया गया है तथा सभी जिलों में जिला उपयुक्त की अध्यक्षता में संघों की प्रारंभिक आमसभा की बैठकें आयोजित की जा रही हैं तथा कार्य प्रारंभ किया जा रहा है।

सिद्धो–कान्हो कृषि एवं वनोपज सहकारी संघ के गठन का उद्देश्य एवं महत्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि राज्य के मुख्य मंत्री स्वयं राज्य स्तरीय सहकारी संघ लि. के पदेन अध्यक्ष हैं तथा उपाध्यक्ष के रुप में कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के मंत्री हैं। इसी प्रकार जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय संघ के कार्यों के सफल संचालन, त्वरित निर्णयों एवं जिले के सभी विभागों में आपसी समन्वय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए संबंधित जिले के उपायुक्त को संघ का पदेन अध्यक्ष तथा संबंधित वन प्रमण्डल पदाधिकारी को प्रबंध निदेशक बनाया गया है।

राज्य के नवोत्पाद संग्रहणकर्ताओं एवं कृषकों की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाकर राज्य की उन्नति में सिद्धो–कान्हों कृषि एवं वनोपज राज्य सहकारी संघ अपनी महत्ती भूमिका निभाएगा इसी विश्वास एवं शुभकामनाओं के साथ।

मृत्युंजय कुमार बरणवाल (भा.प्र.से.)
निबंधक,
सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची।

नामकुम लैम्पस की सफलता की कहानी

नामकुम वृहत् बहुधन्धी सहयोग समिति लि0 का निबंधन वर्ष 1977 में हुआ, जिसका निबंधन सं0 56 आर दिनांक 16.05.1977 है। समिति का कार्यक्षेत्र सिंदरौल पंचायत तक सीमित था। पंचायत पुनर्गठन के फलस्वरूप सिदरौल पंचायत खिजरी, बरगांवा तथा सिदरौल तीन पंचायतों में विभक्त हो गया। वर्ष 2013 में पंचायत स्तर पर लैम्पस के पुनर्गठन के फलस्वरूप नामकुम लैम्पस का कार्यक्षेत्र खिजरी पंचायत तक सीमित है। जिसके अन्तर्गत दो ग्राम खिजरी, तुम्बागुदू आते हैं।

लैम्पस के निबंधन वर्ष 1977 से वर्ष 2000 तक नामकुम लैम्पस में राँची – खूँटी केन्द्रीय सहकारी बैंक, रांची द्वारा कुछ (नगण्य) सदस्यों को ऋण उपलब्ध कराया जाता था तथा उसकी वसूली का कार्य होता था। ऋण वितरण तथा ऋण वसूली के अतिरिक्त लैम्पस में कोई व्यवसाय नहीं था।

दिसम्बर 2000 में आई.सी.डी.पी. योजना के अन्तर्गत नामकुम लैम्पस का एक 100 मी. टन क्षमता वाला गोदाम–सह– कार्यालय के निर्माण के पश्चात् समिति के सदस्यों तथा गैर सदस्यों से जमा राशि प्राप्त कर समिति के व्यवसाय तथा अन्य कार्यकलाप बढ़ाने का निर्णय लेते हुए जमावृद्धि के उद्देश्य से कार्य प्रारम्भ किया गया।

1. समिति द्वारा जमावृद्धि अभिकर्ता के रूप में मुख्यतः बेरोजगार महिलाओं से सम्पर्क कर गाँव–गाँव में बैठक कर विशेषकर उन महिलाओं एवं ग्रामीणों से जिनका बैंक में कोई खाता नहीं था, उन लोगों को समिति द्वारा एक डब्बा उपलब्ध कराया गया जिसे गृहलक्ष्मी खाता के नाम का रूप दिया गया तथा उसमें प्रतिदिन बचत की कुछ राशि डालने हेतु प्रेरित किया गया. जिससे उनके द्वारा बचत की राशि आवश्यकता पड़ने पर काम आ सके। विभाग द्वारा निर्धारित 2% कमीशन अभिकर्ता को देने का निर्णय हुआ, जिससे बेरोजगार महिलाओं के आय में वृद्धि हुई तथा महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति जगी।

जमावृद्धि योजनान्तर्गत जमा वृद्धि बढ़ने के फलस्वरूप वर्ष 2001 में एक कैशियर तथा एक अनुसेवक की नियुक्ति की गई। वर्ष 2011 में प्रबन्धकारिणी समिति द्वारा प्रबन्धक के रूप में श्री नीरज कुमार को बनाया गया।

लैम्पस में जमावृद्धि के अन्तर्गत प्राप्त राशि से लैम्पस में कृषकों की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए खाद, बीज, कीट–नाशक दवाएं. जेरोक्स मशीन तथा ग्रोसरी के सामानों में विनियोग करते हुए रांची–खूँटी केन्द्रीय, सहकारी बैंक, राँची में मियादी जमा (FD) के रूप में विनियोग भी किया जाने लगा जिससे समिति के आय में वृद्धि हुई।

2. लैम्पस में व्यवसाय वृद्धि के फलस्वरूप समिति में कर्मचारियों की संख्या में वृद्धि करनी पड़ी तथा वर्तमान में प्रबन्धक के अतिरिक्त चार और कर्मचारी कार्यरत हैं तथा आवश्यकतानुसार दैनिक मजदूरी पर रखकर अन्य कार्यकर्ताओं से भी काम लिया जाता है।

प्रबन्धकारिणी समिति के मार्गदर्शन तथा समिति के प्रबन्धक के कठिन परिश्रम तथा दूरदर्शिता के कारण समिति के लेखा संधारण भी उच्च कोटि का है। फलस्वरूप वर्ष 2000 से प्रत्येक वर्ष बिना किसी सरकारी सहायता के अपने कर्मचारियों के वेतन तथा स्थापना व्यय करने के बाद भी समिति लाभ अर्जित करती है तथा अंकेक्षण वर्गीकरण भी समिति का "A" प्राप्त है।

लैम्पस के व्यवसाय वृद्धि में लैम्पस के प्रबन्धक सहित सभी कर्मचारियों का योगदान रहा है।

3. लैम्पस द्वारा अपनी निधि से समिति में खाद, बीज कीटनाशक दवायें, एन.पी.के., सागरिका, कैल्सियम नाइट्रेट, पोटैशियम नाइट्रेट, मोनो पोटैशियम फॉस्फेट, जेरोक्स कारोबार, कृषकों को समय पर बीज उपलब्ध कराना, किसानों द्वारा उत्पादित धान को धान अधिप्राप्ति योजना के अर्न्तगत न्युनतम समर्थन मूल्य पर धान का क्रय कर कृषि उत्पादित सामग्री के विपणन का कार्य कर कृषकों को सुविधा प्रदान की जा रही है।

खाद, बीज कृषकों को उपलब्ध करा कर उत्पादित धान को न्युनतम समर्थन मूल्य पर क्रय कर तथा सीधे कृषकों से सहकार से समृद्धि के सिद्धांत को प्रतिपादित करता है। खाद, बीज तथा न्युनतम समर्थन मूल्य पर क्रय किये गये धान के विगत तीन वर्ष का विवरणी निम्न प्रकार है:

वर्ष	खाद (किसानों की सं०)	मात्रा (M.T. में)	बीज (किसानों की सं०)	मात्रा (क्विंटल में)	MSP पर क्रय किये गये धान (किसानों की सं०)	क्रय किये की गये धान की मात्रा (क्विंटल में)
2018-19	205	43.55	305	273.30	175	8687.22
2019-20	325	55.70	364	223.00	231	11724.40
2020-21	546	80.30	713	292.90	1244	114063.20

भूमि संरक्षण पदाधिकारी, राँची द्वारा जनवरी 2016 में 75% अनुदान राशि पर कृषि उपकरण बैंक की स्थापना की गई है। जिसमें दो टैक्टर, एवं अन्य कृषि उपकरण उपलब्ध कराये गए है इस कृषि उपकरणों से प्रखण्ड के कृषकों को कम दर पर उपकरण उपलब्ध कराया जाता है। समिति की उपलब्धि का संक्षिप्त विवरण निम्न रूप में है।

1. सदस्यों की संख्याः–473

ST	255
SC	33
GEN	185

2. परिवार की कुल संख्या :–1722

ST	855
SC	184
GEN	683

3. हिस्सा पूँजी :– सदस्य :

सदस्य	40201
राज्य सरकार	13804
	54005

4. समिति की विशेष आम सभा (निर्वाचन) की तिथिः– 26.11.2018

5. समिति के अध्यक्ष का नाम :– **श्री रामवतार केरकेट्टा**

6. समिति के प्रबंधक का नाम :– **श्री नीरज कुमार**

7. समिति के कार्यक्षेत्र में सिंचित क्षेत्रः

	177.77 हे0
असिंचित क्षेत्र	485.72 हे0
परती	203.82 हे0
कुल	860.31 हे0

व्यवसाय :– a. जमावृद्धिः– जमा वृद्धि योजनांतर्गत निम्नांकित खाताओं का संचालन किया जाता है।

खाते का प्रकार	खाता संख्या	कुल
गृह लक्ष्मी	1839	2019014.32
बचत खाता	9764	18706340.85
आवर्ती जमा	406	2781926.00
सावधि जमा	1008	22537201.00
	13017	**146044482.17**

b. माइक्रो एटीएमः– झारखण्ड राज्य सहकारी बैंक राँची के माध्यम से माइक्रो एटीएम द्वारा लाभुको का ऑनलाइन 2500 खाता लगभग खोला गया। माईक्रो ए.टी.एम के माध्यम से प्रखंड में वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन, मनरेगा एवं सरकारी माध्यम से दी जाने वाली सुविधाओं का भुगतान लैम्पस द्वारा ससमय किया जाता है।

विनियोगः– लैम्पस द्वारा जे० एस० सी० बी० राँची एवं पी0 एन0 बी0 राँची में समिति का सावधि जमा निम्न रूप में जमा है :

1	JSCB Ranchi	-	37442995.00
2	PNB Ranchi	-	11176725.00
			48619720.00

लैम्पस द्वारा अपने निधि से सदस्यों को ऋण भी उपलब्ध कराया जाता है।

लाभ हानि स्थितिः– 31.03.2016 तक कुल अर्जित शुद्ध लाभ की राशि को सुरक्षित कोष, अशोद्धय ऋण, आमभलाई कोष, लाभांश मूल्य परिवर्तन कोष आदि में मो0 1861720.50 स्थानातंरित करने के वाद वर्ष 2020–21 तक मो0 1817493.61 के शुद्ध लाभ में है।

लाभ 2017–18	373302.90
लाभ 2018–19	177318.17
लाभ 2019–20	112142.27
लाभ 2020–21	181551.85
कुल लाभ	1817493.61

5. लैम्पस द्वारा किए गए कारोबार तथा सदस्यों एवं कृषकों के हित में किये गये कार्य के फलस्वरूप समिति बिना किसी सरकारी सहायता के अपने स्थापना व्यय करने के बाद भी प्रत्येक वर्ष लाभ में है। नामकुम लैम्पस ने जो अपने सदस्यों को वर्ष 2018 में लाभांश वितरण किया है। समिति अपने सदस्यों को ससमय खाद–बीज उपलब्ध कराकर तथा उनके द्वारा उत्पादित धान को न्यूनत्तम समर्थन मूल्य पर क्रय कर तथा लाभांश वितरण कर सदस्यों को लाभ पहुँचाया है।

लैम्पस में अच्छा कार्य होने के फलस्वरूप नामकुम लैम्पस को NCDC, नई दिल्ली द्वारा दिनांक 11.12.2018 को NCDC Regional Award of excellence for co-operative 2018 for Best Primary Credit co-operative society in Jharkhand का पुरस्कार प्रदान किया गया है। पुनः दिनांकः–9.12.2021 को NCDC द्वारा नामकुम लैम्पस को NCDC Regional Award of Merit for co-operative 2021 for Best Primary Credit cooperative society in Jharkhand प्रदान किया गया है।

लैम्पस की उपलब्धि एवं कार्यों को देखते हुए राज्य के माननीय मंत्री श्री रामेश्वर उरांव एवं माननीय विभागीय मंत्री श्री बादल द्वारा राज्य में धान क्रय योजना का शुभारंभ नामकुम लैम्पस के प्रांगण से किया गया।

समिति में common service centre (प्रज्ञा केन्द्र) का भी कार्य विगत एक माह से प्रारंभ किया गया है, जिसके तहत ई–श्रम, जमीन लगान रसीद एवं अन्य कार्य कर समिति के सदस्यों. ग्रामीणों , व्यवसायियों को लाभान्वित किया जा रहा है।

पैक्स/लैम्पस के गठन का उद्देश्य एवं कार्य

प्राथमिक सहकारी साख समिति या वृहदाकार बहुउद्देशीय सहकारी समिति विभिन्न प्रकार के व्यक्तियों का समूह है जो मिलजुल कर प्रजातांत्रिक तरीके से अपना सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान करना चाहते हैं। सामान्य तौर पर यह पैक्स के नाम से जाना जाता है। परन्तु जब इनका गठन जनजातीय क्षेत्र में हो जहाँ आदिवासी रहते हैं, तो उन्हें लैम्पस के नाम से जाना जाता है। पैक्स या लैम्पस के स्वरूप में थोड़ा सा अन्तर होता है परन्तु इनका उद्देश्य एवं कार्य लगभग समान होता है।

पैक्स एवं लैम्पस में अन्तर

पैक्स	लैम्पस
1 कार्य क्षेत्र पंचायत स्तर तक होता है।	1 कार्य क्षेत्र पंचायत स्तर तक होता है।
2 गैर अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र	2 अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र
3 सभी प्रकार की कृषि एवं कृषि पर आधारित कार्यों हेतु ऋण उपलब्ध कराना।	3 सभी प्रकार की कृषि पर आधारित ऋण सेवाओं के अतिरिक्त उपभोक्ता ऋण उपलब्ध कराना।
4 अध्यक्ष सचिव	4 अध्यक्ष, सचिव

पैक्स/लैम्पस के गठन का उद्देश्य

1. सदस्यों को अल्पकालीन, दीर्घकालीन एवं उपभोक्ता ऋण उपलब्ध कराना।
2. सदस्यों की कृषि संबंधी आवश्यकताओं जैसे–खाद, बीज, कीटनाशक दवायें, कृषि यंत्रों इत्यादि उपलब्ध करना।
3. उन्नत ढंग से खेती करने के लिए सदस्यों को प्रोत्साहित करना तथा इसके लिए आवश्यक साधनों को जुटाना।
4. सदस्यों के सभी प्रकार की कृषि उपज, उद्योग कुटीर उद्योग तथा छोटे वनोपज वस्तुओं का उचित मूल्य पर बिक्री करने का प्रबंध करना।
5. सदस्यों हेतु व्यावसायिक विकास योजना तैयार करना एवं उनका क्रियान्वयन करना।
6. सदस्यों के कृषि उत्पादों का संग्रहण, प्रोसेसिंग इत्यादि करना एवं उचित मूल्य दिलवाना।
7. उन्नतशील बीजों का उत्पाद बढ़ाने के लिए सदस्यों को आवश्यक सहायता देना।
8. उपभोक्ता भण्डार का संचालन करना एवं सदस्यों को दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुओं को उपलब्ध कराना।
9. बचत बैंक का संचालन करना एवं सदस्यों में मितव्ययिता की भावना विकसित करना ताकि वे आर्थिक तौर पर आत्म निर्भर हो सके।

10. सदस्यों के उन्नत कृषि हेतु सिंचाई साधनों की व्यवस्था करना तथा भूमि संरक्षण के उपाय करना।

11. सदस्यों को सभी तरह की आवश्यकतानुसार गतिविधियों का संचालन करना।

पैक्स/लैम्प्स के कार्य :

पैक्स/लैम्पस के कार्यों को छः भागों में बाँटा जा सकता है :

1. वित्तीय सेवाएं 2. उत्पादन के सहयोग संबंधी सेवाएं

3. विपणन सेवाएं 4. उपभोक्ता सेवायें 5. कल्याणकारी सेवाएं

1. **वित्तीय सेवायें** : पैक्स/लैम्पस के द्वारा दो प्रकार की वित्तीय सेवाएं दी जाती है।

क) समितियों के गठन का उद्देश्य किसानों को आसानी से ऋण की सुविधा देना है ताकि उन्हें निजी देनदारों के चंगुल से मुक्त किया जा सके। समितियों द्वारा साख की यह सुविधा अन्य बैंकों के अपेक्षा कम ब्याज पर दी जाती है :

ख) ऋण का वितरण : समितियों के गठन का उद्देश्य किसानों को आसानी से ऋण की सुविधा देना है ताकि उन्हें देनदारों के चंगुल से मुक्त किया जा सके। अतः समितियों के द्वारा कृषकों को ऋण उनके कृषि इनपुट्स की आवश्यकता को पूरा करने के लिए दिया जाता है। समितियों द्वारा निम्न प्रकार के ऋण उपलब्ध कराये जाते हैं।

1. अल्पकालीन 2. मध्यकालीन 3. दीर्घकालीन

अल्पकालीन ऋण को वापस करने की अवधि 1 (एक) वर्ष होती है, मध्यकालीन ऋण वापस करने की अवधि दो से पाँच वर्ष होती है एवं पाँच से अधिक वर्ष की अवधि वाले ऋण दीर्घकालीन के अन्तर्गत आते हैं।

ग) बचत का प्रोत्साहन : वित्तीय सेवाओं के अन्तर्गत समितियों द्वारा बचत खातों का संचालन किया जाता है ताकि सदस्यों द्वारा की गयी बचत इस बैंक में डाली जा सके। इस बचत पर सदस्यों को अन्य बैंकों से ज्यादा ब्याज देने का प्रयास किया जाता है। समितियों द्वारा सदस्यों को बचत के प्रति जागरूक कर उनकी आकस्मिक आवश्यकता को पूर्ण करने का प्रयास किया जाता है। ताकि अन्य माध्यमों पर निर्भर होकर उनका शोषण नहीं हो।

2. **उत्पादक सेवाएं :**

क) इनपुट्स का वितरण : समितियों के द्वारा सदस्यों को कृषि उत्पादों के उत्पादन हेतु आवश्यक वस्तुएँ, जैसे – खाद, बीज, कीटनाशक दवाईयाँ, कृषि उपकरण इत्यादि उपलब्ध कराये जाते हैं। समितियों का यह प्रयास होता है कि ऋण देकर उसका उपयोग निश्चित किया जा सके। ये कृषि इनपुट्स सदस्यों को उचित मूल्य पर दिया जाता है।

ख) किराये पर कृषि यंत्र : समितियों द्वारा किराये पर कृषि यंत्रों को सदस्यों को दिया जाता है ताकि कृषकों द्वारा आधुनिक कृषि यंत्रों का आसानी से उपयोग किया जा सके। इस प्रकार के सहयोग से अपने भूमि की उत्पादकता को बढ़ा सकते हैं।

ग) तकनीकी सेवाएं :– समितियों द्वारा हमेशा यह प्रयास होता है कि कृषक सदस्यों की आवश्यकतानुसार उन्हें उत्पादन से संबंधित तकनीकी ज्ञान दिया जाए ताकि वे आधुनिक कृषि तकनीकों को लागू कर अधिकतम उत्पादन ले सकें।

3. **विपणन सेवाएं :**

समितियों के द्वारा सदस्यों को विपणन की सेवायें दी जाती है। ताकि उनके उत्पादन का उन्हें अधिकतम मूल्य दिलवाया जा सके। सदस्यों के उत्पादन का संग्रहण कर कृषि उत्पादकों की गुणवत्ता तथा मूल्य सम्बद्ध न का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार विपणन सेवा द्वारा सदस्यों को हमेशा ही लाभप्रद बाजार उपलब्ध कराने का प्रयास किया जाता है।

4. **उपभोक्ता सेवाएं :**

समितियों के द्वारा सदस्यों को उचित मूल्य पर उनकी रोजमर्रा की आवश्यक वस्तुओं को उपलब्ध कराया जाता है ताकि निजी दुकानदारों की मनमानी से उन्हें मुक्त किया जा सके। पैक्स/लैम्पस द्वारा उपभोक्ता भण्डार का संचालन कर सदस्यों की दैनिक आवश्यकता की वस्तुओं का उचित मूल्य पर विक्रय किया जाता है। उपभोक्ता भण्डार में उन्हीं वस्तुओं को रखा जाता है जिनकी आवश्यकता सदस्यगण प्रतिदिन अपने जीवन में महसूस करते हैं।

वस्तुतः पैक्स/लैम्पस द्वारा यह प्रयास होना चाहिए कि वह उन सभी सेवाओं को सदस्यों को उपलब्ध कराये जिससे उनकी विश्वसनीयता हमेशा बनी रहे। वे अपनी आवश्यकता हेतु किसी अन्य माध्यम पर निर्भर न रहें। समितियाँ उपरोक्त सभी कार्यों के अतिरिक्त पैक्स/लैम्पस को अपने सदस्यों के अधिकतम कल्याण हेतु कुछ कल्याणकारी योजनाएँ भी संचालित करें, यह तभी सम्भव हो पाएगा जब समिति लाभ में रहेगी और लाभांश का कुछ हिस्सा वह सामुदायिक योजनाओं में व्यय कर सकें। जैसे–कार्य क्षेत्र में पार्क का निर्माण सामुदायिक भवन का निर्माण, चिकित्सा कैम्प का आयोजन, गाँवों में पक्की सड़कों के निर्माण में सहयोग इत्यादि।

समितियों के द्वारा चलायी जा रही सभी प्रकार की गतिविधियों का संचालन तभी संभव है जब पैक्स/लैम्पस का सामान्य प्रबंधन पेशेवर एवं कुशल हो तथा समिति प्रजातांत्रिक ढंग से कार्य करें। सदस्य प्रबंध कमेटी तथा कर्मचारियों का पूरा सहयोग हो। सरकार तथा वित्तीय संस्थाओं का समिति को पूरा सहयोग मिले। प्रत्येक माह में प्रबंध कमेटी की बैठक हो तथा प्रत्येक वर्ष आम सभा की बैठक करायी जाए। गतिविधियों का नियमित अवलोकन हो तथा आवश्यकतानुसार उनमें संशोधन किया जाए।

सहकारी समितियों के अंकेक्षण (Audit of Co-operative Societies)

राजीव कुमार सिंह

राज्य में अवस्थित सहकारी समितियों का अंकेक्षण झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 यथासंशोधित 2011 एवं 2015 की धारा–33, झारखण्ड स्वावलंबी सहकारी समितियाँ 1996, झारखण्ड सहकारी समिति नियमावली 1959 एवं ऑडिट मैनुअल के आलोक में सम्पन्न की जाती है।

- सहकारी समितियों में वित्तीय प्रबंधन एवं वित्तीय अनुशासन के लिए अंकेक्षण अनिवार्य है।

झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 यथा संशोधित 2011 एवं 2015 की धारा–33 के तहत सहकारी समितियों का अंकेक्षण :–

- सहकारी समिति अपने लेखाओं का अंकेक्षण प्रत्येक वित्तीय वर्ष में कम से कम एक बार राज्य सरकार अथवा राज्य सरकार द्वारा प्राधिकृत अनुमोदित पैनल के अंकेक्षक द्वारा करायेगी।
- ऐसा अंकेक्षक चार्टड एकाउन्टेन्ट अधिनियम 1949 के अर्न्तगत या तो चार्टड एकाउन्टेन्ट होगें अथवा निबंधक स0स0 के अधीनस्थ विभागीय अंकेक्षण पदाधिकारी होगें।
- प्रत्येक सहकारी समितियों का अंकेक्षण वित्तीय वर्ष के समाप्ति के छः माह के भीतर करना अनिवार्य होगा, जिस वित्तीय वर्ष से ऐसा लेखा संबंधित हो।
- प्रत्येक सहकारी समिति के लेखाओं का अंकेक्षण सहकारी समिति के सामान्य निकाय (General Body) द्वारा नियुक्त अंकेक्षक अथवा चार्टड एकाउन्टेन्ट फर्म द्वारा की जाएगी।
- जहाँ कोई सहकारी समिति समय पर अपने वार्षिक लेखाओं का अंकेक्षण कराने में असफल हो, वहाँ के लिए निबंधक, स0 स0, सहकारी समिति का अंकेक्षण करायेंगें।
- झारखण्ड सहकारी समितियाँ अधिनियम 1935 यथा संशोधित 2011 एवं 2015 की धारा–33 (क) के आलोक में राज्य सरकार या अन्य सहकारी समिति या अन्य संस्थाओं या अन्य बाह्य व्यक्ति से निधियों का संव्यवहार करने वाले किसी सहकारी समिति का **विशेष अंकेक्षण (Special Audit)** ऐसे ऋण दाताओं के अनुरोध पर अथवा स्वेच्छा से निबंधक, स0 स0 द्वारा ऐसे विर्निदिष्ट आदेश/निर्देश के तहत जैसा कि निबंधक, स0 स0 द्वारा कारणों सहित अभिलिखित किया जाए, किये जाने का प्रावधान है।

सहकारी समितियों के अंकेक्षण में प्रमुखता से देखे जाने वाले तथ्य एवं अन्यः–

- समितियों द्वारा प्रस्तुत अंतिम लेखा यथा–लाभ–हानि खाता, व्यापारिक खाता एवं आर्थिक चिटठा समिति के वास्तविक आर्थिक स्थिति एवं उचित विपत्र प्रस्तुत कर रहा है।
- समितियों का प्रशासन तथा प्रबंधन अधिनियम, नियम एवं उपविधियों के अनुरूप चल रहा है।
- समितियों के कार्य संचालन में सहकारी सिद्धान्तों का अनुपालन हो रहा है।
- समितियाँ सदस्यों के हित में कार्य कर रही है।
- समितियों के कार्यक्रम उसके सदस्यों के आर्थिक तथा मानसिक उत्थान में सहायक हो रहे हैं।
- समितियों के नियम समिति के सदस्यों के हित के अनुरूप हो।
- समितियों में कोई नियम विरूद्ध प्रस्ताव पारित नहीं किया गया हो।
- समिति के सदस्यों में ऋण का वितरण उपविधि में किये गये प्रावधान के अनुरूप किया गया है।
- समितियों को दी गयी सरकारी सहायता का प्रयोग उसी कार्य के लिए किया गया है, जिसके लिए यह सहायता दी गयी थी।
- समितियों द्वारा किये गये व्यय उचित एवं नियमानुकूल हैं।
- समिति के सदस्यों से ऋण की वसूली नहीं होने पर संबंधित सदस्यों के विरूद्ध की गयी कार्रवाई।
- यदि सहकारी समितियों में अंकेक्षण अथवा विशेष अंकेक्षण के दौरान वित्तीय अनियमितता, गबन एवं दुर्विविनियोग इत्यादि का पता चलता है, तो दोषी पदाधिकारियों/समिति के पदधारियों/सदस्यों के विरूद्ध सहकारी समिति अधिनियम 1935 यथासंशोधित 2015 की धारा–40 के आलोक में इसमें संलिप्त राशियों की वसूली हेतु अधिभार प्रस्ताव (Surcharge Proposal) अंकेक्षण पदाधिकारियों के द्वारा माननीय न्यायालय में समर्पित की जाती है।

सहकारी समितियों को अंकेक्षण से लाभ

- समितियों के विश्वसनीय वित्तीय विवरण एवं वित्तीय स्थिति प्राप्त किये जा सकते हैं।
- अंकेक्षण प्रतिवेदन से समितियों के Net Worth, NPA की स्थिति, सरकार अथवा अन्य संस्थानों से प्राप्त अनुदान, वित्तीय सहायता, Assets/Liabilities आदि की स्थिति प्राप्त की जा सकती है।
- समितियों में वित्तीय अनियमितता, गबन एवं दुर्विविनियोग इत्यादि का पता लगाने में सहायक सिद्ध होती है।
- अंकेक्षित लेखा, कर (Tax) के दायित्व के निर्धारण में सहायता प्रदान करते हैं।
- व्यावसायिक झगडों या विवादों को निपटाने में अंकेक्षित खातों की अपनी उपयोगिता है।
- हानियों, क्षयों इत्यादि का पता लगाने तथा रोकने के लिए भी अंकेक्षण बहुत महत्वपूर्ण है और यह इस विषय में सूचना प्रदान कर सकता है कि हानियों एवं क्षयों को किस प्रकार से रोका जाये।
- अंकेक्षण यह सुनिश्चित करता है कि समितियों में सभी आवश्यक अभिलेख, दस्तावेज एवं पंजियों का संधारण किया गया है।
- समिति प्रबंधन (Management) को अंकेक्षण प्रतिवेदन में प्रतिवेदित तथ्यों के आलोक में निर्णय लेने में सहायता प्रदान करता है।
- सहकारी समितियों को केन्द्र सरकार/राज्य सरकार/ नाबार्ड/राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम, समेकित सहकारी विकास परियोजना एवं अन्य संस्थाओं से अनुदान, वित्तीय सहायता, ऋण एवं अन्य सहायता प्राप्त होने में अंकेक्षण प्रतिवेदन सहायक सिद्ध होती हैं।
- अंकेक्षणोपरान्त समितियों में प्रदर्शित लाभ के अनुरूप समिति अपने शेयर धारकों (Share holders) को उपविधि के आलोक में लाभांश (Divident) की घोषणा करती है।

लेखक, कार्यालय–निबंधक, सहयोग समितियाँ,
में वरीय अंकेक्षण पदाधिकारी हैं।

सहकारिता : एक सार्थक मंच

– श्री सुरेश चौधरी

मैं सहकारिता को एक सशक्त एवं सार्थक मंच के रूप में देखता हूँ जिसके माध्यम से लोकशक्ति को जागृत कर भौतिक एवं सुचिता जनित लक्ष्यों को प्राप्त किया जाना संभव है। सहकारिता सुसंस्कृति से उपजी हुई एक अवधारणा है जहाँ लोकशक्ति को लोकहित हेतु प्रतिस्थापित किया गया है। उचित नेतृत्व में ये जमीनी सहकारी संस्थायें भारत की उच्च सर्वोदयी संस्कृति का वाहक और पोषक बन सकती हैं।

पारम्परिक तौर पर भारत एक कृषि प्रधान देश रहा है और इसकी एक बड़ी आबादी गाँवों में बसती है। इस संदर्भ में यह कथन भी मुझे सार्थक लगता है कि भारत की आत्मा गाँवों में बसती है चूंकि भारत के उच्च सांस्कृतिक एवं आध्यात्मिक विरासत, जिसने एक समय इसे ज्ञान के स्तर पर विश्वगुरू बनाया, आज भी उसकी झलक ग्रामीण संस्कृति में देखने को मिलती है। ग्रामीण आबादी, अपनी आजीविका के लिए, पारम्परिक तौर पर मूलतः खेती–किसानी पर ही निर्भर रही है। किसान, अन्नदाता के उच्च आसन पर विराजमान होने के वावजूद, विड्म्बना ऐसी कि कमजोर ग्रामीण अर्थ–व्यवस्था के फलस्वरूप, यह बड़ा असंगठित क्षेत्र, शोषण एवं विभिन्न त्रासदियाँ झेलता रहा है। भारतवर्ष में सहकारिता की उपादेयता, अपने प्रारम्भिक दौर में, मूलतः ग्रामीण अर्थव्यवस्था की पृष्टभूमि में परिलक्षित हुआ। दूषित हो चुकी जमीन्दारी प्रथा साथ ही सूदखोरों एवं शोषकों की जमात किसान के लिए किसी अभिशाप से कम नहीं था। इससे सम्पूर्ण नहीं तो आंशिक मुक्ति दिलाने में सहकारिता ने, अपने प्रारंभिक दौर में, अहम भूमिका निभायी। पश्चात् 'अमूल' जैसे कई सफल आर्थिक परियोजनाओं का सूत्रधार सहकारिता ही बना। यह उपलब्धि सहकारिता के सिद्धान्तों में विश्वास रखने वालों के लिए अत्यन्त ही उत्साह वर्धक था और इन परियोजनाओं की सफलता सहकारिता जगत के लिए 'बेंचमार्क' थे जो यह सिद्ध कर रहे थे कि सहकारिता का ग्रामीण अर्थव्यवस्था के उन्नयन हेतु सफलता के साथ प्रयोग किया जाना संभव है। लोकशक्ति को संग्रहित कर उसके मौलिक सृजनात्मक क्षमता का लाभ लेते हुए ग्रामीण जीवन स्तर को नया आयाम दिया जा सकता है।

यद्यपि सहकार की प्रवृत्ति मनुष्य के मूल स्वभाव में ही रची–बसी है फिर भी संगठित सहकारी मंच के माध्यम से इस मानवीय प्रवृत्ति को, व्यवस्थित एवं लाभकारी ढंग से अभिव्यक्त करने हेतु, ऐसा माना जाता है कि भारत में सजग प्रयास वर्ष 1904 से प्रारम्भ हुआ। व्यापक स्तर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को स्वावलम्बी बनाने में यद्यपि सहकारिता के मंचों से किये गये प्रारम्भिक प्रयास नाकाफी थे पर शनैः शनैः केन्द्र सरकार, राज्य सरकार ने सहकारी संस्थाओं की उपयोगिता समझते हुए, विशेषकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में, इसे समर्थन एवं सहयोग देने की नीति अपनाई। वर्ष 1904 से अब तक, विशेष कर केन्द्र सरकार ने, सहकारिता को सफल बनाने के उद्देश्य से आवश्यक सुझाव देने हेतु समय–समय पर समितियाँ बनाई और सुझावों के आलोक में, सहकारिता को तराशने का कार्य अनवरत चलता रहा। इस कड़ी में, हाल–फिलहाल प्रो0 ए0 वैद्यनाथन समिति की अनुशंसाओं को लागू कर सहकारी समितियों को अपनी दिशा और दशा को संवारने हेतु लगभग पूर्ण स्वायत्तता प्रदान की गई है जो एक अत्यन्त ही मौलिक एवं सराहनीय कदम है।

सहकारिता को आंदोलन का दर्जा कदाचित इसलिए प्राप्त है चूँकि इसकी अवधारणा प्रमुख रूप से सर्वप्रथम वैचारिक स्तर पर अभिव्यक्त होती है जिसमें

आपसी सहयोग, पारस्परिक सम्मान भाईचारा, सहअस्तित्व जैसे धारक मूल्यों को पिरोकर एक माला बनाई जाती है जो लोकशक्ति के रूप में प्रकट होती है। शासन व्यवस्था चलाने वाली सरकार अपनी परोपकारी मंशा में चाहे जितना भी श्रेष्ठ हो वह मनुष्य की समस्त आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं को पूरी नहीं कर सकती। लोकतांत्रिक व्यवस्था के अन्तर्गत रहते हुए मनुष्य को पूरी स्वतंत्रता है कि वह अपने जीवन को सुखमय बनाने के लिए यथोचित प्रयास करे। निसंदेह, सहकारिता इसके लिए एक सशक्त सृजनात्मक मंच है। सहकारिता की सफलता का एक प्रमुख आधार है नेतृत्व की विश्वसनीयता। जिस नेतृत्व का व्यक्तिगत निजी जीवन सुचिता के सिद्धान्तो से अनुप्राणित है वस्तुतः वही सार्वजनिक जीवन में अपने आचरण की श्रेष्ठता से विश्वसनीयता का वातावरण बनाने में अधिक सफल हो पायेगा। जिस अभियान के पीछे कोई आदर्श न हो भला वह कैसे किसी व्यक्ति को सृजनात्मक कार्य के लिए उत्प्रेरित कर सकता है ? गाँधीजी ने देशवासियों के समक्ष एक आदर्श खड़ा किया जिसके साथ उन्होंने अपने सुचितापूर्ण व्यक्तित्व को जोड़ा। परिणामस्वरूप सत्याग्रह का आंदोलन खड़ा हो गया। प्रबुद्धता किसी पद या उपाधि में नहीं बल्कि प्रबुद्धता इस दृष्टिकोण में अंर्तनीहित है कि सृष्टि एवं जीवन के उन धारक मूल्यों को अनवरत बल दी जाए जो एक आदर्श और श्रेष्ठ समाज–व्यवस्था के लिए आवश्यक है। स्मरण रहे कि सहकारिता कई दृष्टिकोण से एक संवेदनशील विषय है।

आज मानव, भौतिक विकास की ऊँचाइयों के नित नये सोपान तय कर रहा है और इसकी चकाचौंध में वह विरासत में मिली उस सम्यक ज्ञान को दरकिनार कर रहा है जो उसे सार्थक एवं अर्थपूर्ण जीवन संचालन की दिशा बता रहा है। बाजारवाद एवं भोग सामग्री की प्रचूरता के फलस्वरूप रहन–सहन का स्तर तो बेशक उपर उठता जा रहा है पर जीवन के धारक मूल्यों की अवहेलना से जीवन–स्तर वस्तुतः गिरता जा रहा है। मनुष्य जीवन में शांति का लवलेश भी नहीं रह गया। इसी अंतर्विरोध में ही मानव के विनाश के बीज अंतर्निहित है। भोगवादी, आत्मघाती अप–संस्कृति से भ्रष्टाचार पनपता है जो एक स्वस्थ सामाजिक व्यवस्था को छिन्न–भिन्न करने की क्षमता रखता है। इससे रोजगार एवं विकास के अवसर अवरूद्ध होते हैं एवं समाज में विपन्नता, अशांति और असमानता बढ़ती है।

यह अत्यन्त ही संतोष की बात है कि सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ एवं आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में सरकार द्वारा महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर लायी जा रही हैं। धनबाद सेन्ट्रल को–ऑपरेटिव बैंक ने भी इस दिशा में अपना दायित्व समझते हुए हाल–फिलहाल अपनी संरचना को इस प्रकार से विकसित करने की कोशिश की है जिससे कि वह, विशेषकर कृषि सहकारी समितियों (पैक्सों) के सशक्तिकरण हेतु कारगर भूमिका निभा सके जिसके लिए एक व्यापक कार्य–योजना बनकर तैयार है।

अंत में, मुझे विश्वास है कि मासिक पत्रिका 'सहकार संवाद' आनेवाले समय में सहकारिता अभियान को गति प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायेगी।

लेखक, धनबाद केन्द्रीय
सहकारी अधिकोष लि0,
धनबाद के अध्यक्ष हैं।

इस्पात कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0, श्यामली, डोरण्डा, राँची

निबंधन सं0– 13R/1963

इस्पात कर्मचारी सहकारी उपभोक्ता भंडार लि0 का निबंधन वर्ष 1963 में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मेकॉन लि0 के कर्मचारी अधिकारीगण को उचित मूल्य पर उपभोक्ता उत्पादों की आपूर्ति के उद्देश्य से किया गया था, किन्तु सदस्यों के सहयोग एवं सहभागिता तथा कुशल प्रबंधन के परिणाम स्वरूप यह संस्था न केवल मेकॉन कॉलोनी बल्कि उस क्षेत्र के सभी निवासियों के लिए उचित मूल्य पर शुद्ध एवं गुणवत्ता पूर्ण उत्पादो की आपूर्ति का केन्द्र है।

मेकॉन प्रबंधन से आंशिक रूप से (जमीन, Building) सहायता प्रदत्त इस उपभोक्त केन्द्र ने मुख्यतः सदस्यों से प्राप्त हिस्सापूँजी से ही अपनी यात्रा आरंभ की। प्रारंभ में यहाँ केवल उपभोक्ता संबंधी उत्पादो की बिक्री की जाती थी। कालान्तर में सदस्यों एवं गैर सदस्य ग्राहकों की संख्या बढ़ने पर समिति खाद्य उत्पादों के अतिरिक्त सौंदर्य प्रशाधन, स्टेशनरी, कनफेक्शनरी आईटम एवं घरेलु उपभोग की अन्य सामग्रियों की आपूर्ति भी करने लगी।

सदस्यों के आग्रह के बाद कार्यकारिणी के द्वारा समिति में आटा एवं मसाला पीसने की चक्की स्थापित की गई तथा समिति स्वयं अनाज का क्रय कर उसकी धुलाई सफाई आदि करने के बाद उसके पैकेजिंग की व्यवस्था आरंभ की। परिणाम स्वरूप आज इस उपभोक्ता केन्द्र में आटा, चावल, बेसन, सत्तु एवं मसाले स्वयं समिति के द्वारा विभिन्न वजन के पैकेट में बिक्री किये जाते हैं, जिसकी शुद्धता एवं गणवत्ता उच्च कोटि की रहती है।

इस उपभोक्ता केन्द्र का एक उज्जवल पक्ष इसके द्वारा संचालित Indane की गैस एजेन्सी है। गैस एजेन्सी के उपभोक्ता इस क्षेत्र के रहने वाले लोग है, जिसमें मेकॉन के Staff के अलावा अन्य लोग भी है।

एजेन्सी अपने ग्राहकों को ससमय एवं घर पर जाकर गैस सिलिन्डर की आपूर्ति करती है, जिसमें अनेक वाहन एवं कर्मचारी अपना योगदान देते है।

समिति का गत निर्वाचन 30.11.2018 को संपन्न हुआ था, जिसमें कार्यकारिणी में महिलाओं की विहित भागीदारी है। समिति के अध्यक्ष, सहदेव उरांव, सचिव, डी0 के मुण्डा एवं कोषाध्यक्ष के0 एस0 युहान है।

1125 सदस्यों वाली इस समिति के पास सदस्यों के 9.37 लाख के शेयर के साथ लगभग 52 लाख की संपत्ति है। समिति का वार्षिक टर्नओवर 4.92 करोड़ रू0 है तथा समिति लाभ की स्थिति में है। सदस्यों एवं मेकॉन प्रबंधन के सक्रिय सहयोग, जागरूक प्रबंधकारिणी तथा प्रतिबद्ध कर्मियों के कारण समिति निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर है।

सहकारिता की रोचक जानकारी

विश्व की प्रथम सहकारी समिति

844 में उत्तरी इंग्लैंड के रोशडेल शहर में सूती वस्त्रों की मिल में कार्यरत 28 कारीगरों के एक समूह ने आधुनिक सहकारिता का पहला व्यवसाय स्थापित किया जिसे रोशडेल पायनियर्स सोसायटी कहा जाता है। बुनकरों ने काम करने की दयनीय दशाओं और कम मजदूरी का सामना किया और वे भोजन तथा घरेलू सामान की मंहगी कीमतों को बोझ नहीं उठा सके। इसलिए उन्होंने निर्णय किया कि अपने सीमित साधनों का पूल बनाकर और एक साथ मिलकर काम करते हुए वे सस्ते दामों पर मूलभूत वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। आरंभ में, बिक्री के लिए केवल चार वस्तुएं ही थीं : आटा, दलिया, चीनी और मक्खन।

पॉयनियर्स ने फैसला किया कि टाइम शॉपर्स की ईमानदारी, खुले दिल तथा सम्मान के कारण ऐसा माना गया कि वे अपने व्यवसाय से होने वाले लाभ को आपस में बांट सकते हैं और इसके लिए उनके पास प्रजातंत्रात्मक अधिकार होना चाहिए। दुकान का प्रत्येक ग्राहक इसका सदस्य बन गया और इस प्रकार व्यवसाय में वास्तविक भागीदारी आई। पहले तो ये सप्ताह में केवल दो रात के लिए ही खुलती थीं किंतु तीन महीनों में ही व्यवसाय इतना बढ़ गया कि यह सप्ताह में पांच दिन खुलने लगीं।

देवेन्द्र सिंह
प्रबन्ध निदेशक

झास्कोलैम्पफ

एक शीर्ष सहकारी संस्थान

श्री अबुबक्कर सिद्दीख पी. (भा.प्र.से.)
सचिव
कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग - सह
अध्यक्ष, झास्कोलैम्पस

पता : झास्कोलैम्पफ भवन, पुरूलिया रोड, राँची, झारखण्ड - 834001 www.jascolampf.com mdjascolampf@gmail.com, kusum.jharlac@gmail.com

झारखण्ड राज्य सहकारी लाह क्रय-विक्रय एवं आहरण संघ सीमित (झास्कोलैम्पफ) कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन एक शीर्ष सहकारी संस्था है जिसके पदेन अध्यक्ष, सचिव, कृषि, पशुपालन एवं सहकारिता विभाग, झारखंड हैं। झास्कोलैम्पफ से अबतक कुल 304 लैम्पस, पैक्स, व्यापार मंडल एवं प्राथमिक लाह उत्पादक सहयोग समितियाँ सम्बद्धता (Affiliated) प्राप्त है।

लाह बीहन

कच्चा लाह

लाह खेती योजना

- वैज्ञानिक पद्धति से लाह खेती का पाँच दिवसीय संस्थागत प्रशिक्षण
- 90 प्रतिशत अनुदानित दर पर लाह बीज एवं टूल कीट्स का वितरण

लाह मूल्य संवर्द्धन व्यवसायिक प्रशिक्षण योजना

- 10 दिवसीय लाह मूल्य संवर्द्धन उत्पाद यथा सीडलैक, बटन लैक, लैक सीलिंग स्टीक, हैण्डमेड चपड़ा इत्यादि के उत्पादन का प्रशिक्षण
- शत् प्रतिशत अनुदानित दर पर 25 के समूहों में टूल कीट्स/मशीनरी का वितरण
- 30 दिवसीय लाह चूड़ी व हस्तशिल्प प्रशिक्षण योजना

सीडलैक

बटन लैक

लैक सीलिंग स्टिक

हस्तनिर्मित चमड़ा

लाह चुड़ी

लाह आहरण योजना

- जनजातीय कार्य मत्रांलय भारत सरकार द्वारा स्वीकृत न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा लाह एवं चौरी (सीडलैक) का आहरण
- झास्कोलैम्पफ द्वारा संचालित कुसुम इम्पोरियम के माध्यम से राज्य के शिल्पकारों, बुनकरों, उत्पादकों एवं कारीगारों द्वारा उत्पादित सामग्रियों का ऑनलाईन/ऑफलाईन विपणन

प्रधान सम्पादक : श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, स0 स0, झारखण्ड **सम्पादक** : श्री जय प्रकाश शर्मा, उप निबंधक, स0 स0
सम्पादकीय सहयोग : श्री राकेश कुमार सिंह, स0 नि0, श्री कुमोद कुमार, स0 नि0
श्री मृत्युंजय कुमार बरणवाल, निबंधक, सहयोग समितियाँ, झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं रेरित इंक, राँची द्वारा मुद्रित।